राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 1(4)उद्योग/ग्रुप–2/2012 जयपुर, दिनांकः 4 JUN 2015

अधिसूचना

राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना

योजना के उद्देश्य

राज्य में चर्म उद्योग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कच्चे चमड़े की सुगम उपलब्धता के कारण चर्म उद्योग में अल्प विनियोजन होने पर भी अधिक मात्रा में रोजगार का सृजन होता है। चर्म दस्तकार छोटे–2 औजारों से चर्म जूती/मोजड़ी, बैग पर्स, लैदर एसेसरीज आदि का उत्पादन परम्परागत तरीके से करते है। इन दस्तकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण ये आधुनिक औजार एवं मशीन क्रय नहीं कर पाते है। जिससे उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

चर्म दस्तकारों को चर्म उद्योग से संबंधित आधुनिक औजार शु–लास्ट (फर्मे) एवं मशीन आदि उपलब्ध करवाने पर दस्तकार बाजार में प्रचलित फैशन एवं मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार कर गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगें। इन मशीनों एवं औजारों के उपयोग से दस्तकारों के उत्पाद में बढ़ोतरी के साथ साथ आय मे भी बढ़ोतरी होगी।

चर्म दस्तकारों को आधुनिक औजार, शू–लॉस्ट (फर्मे) एवं उत्पाद से संबंधित मशीने क्रय करने हेतु सहायता उपलब्ध कराने पर चर्म दस्तकार उत्पाद की गुणवत्ता एवं अधिक मात्रा में चर्म उत्पाद तैयार कर सकेंगे।

आई.एल.डी.एस.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा प्रायोजित चर्म उद्योग के विकास के लिए **आई.एल.डी.एस.** के अन्तर्गत निम्न सब स्कीम पर सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। :–

आई.एल.डी.एस. के मुख्य बिन्दु :–

1. Indian Leather Development Programme (ILDP)
2. Human resource Development.
3. Support to Artisan
4. Leather Technology Innovation and Environmental issue
5. Mega leather cluster
6. Establishment of Institutional facilitics.

सपोर्ट टू आर्टीजन

चर्म दस्तकारों के लिए सपोर्ट टू आर्टीजन (एस.टी.ए.) सब योजना के अन्तर्गत डिजाइन और प्रोडक्ट डवलपमेंट, मार्केट लिंकेज के साथ उत्तम व्यवस्था से एथेंनिक फुटवीयर अच्छी कीमत प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

सपोर्ट टू आर्टीजन के मुख्य बिन्दु :–

- लैदर के क्षेत्र में परम्परागत रूप से कार्य कर रहे आर्टीजनों को लाईवली हुड में सपोर्ट करना।
- आर्टीजनों की आय में वृद्धि करना।
- डिजाइन एण्ड प्रोडक्ट डवलपमेंट के माध्यम से उत्तम क्वालिटी तथा कम लागत के माध्यम से डोमेस्टिक तथा इन्टरनेशनल मार्केट उपलब्ध कराना।
- केपेस्टिी बिल्डिंग और प्रशिक्षण से आधुनिक तकनीक से फैशन व बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करना।

<table>
<tr><td></td><td>

- मार्केटिंग सपोर्ट।
- स्वयं सहायता समूह के लिए प्रोत्साहन कर माइक्रो फाइनेन्स, सेविंग योजना क्रेडिट सुविधा के सबंध में अवेयरनेस करना आदि।

भारत सरकार की योजना में दस्तकारों के लिए लाईवली हुड सपोर्ट, आय में वृद्धि करना डिजाईन एवं प्रोडक्ट डवलपमेंट प्रशिक्षण उत्पादों को फैशन व बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार कराना, मार्केटिंग सपोर्ट आदि की सुविधाएं तो है परन्तु **योजना के अन्तर्गत दस्तकार को अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के पश्चात् लगातार उत्पाद तैयार करने के लिए मशीनों एवं आधुनिक औजार क्रय करने के लिए सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसको ध्यान में रख कर राजस्थान सरकार द्वारा चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना प्रारम्भ की है।**
</td></tr>
<tr><td>योजना का नाम</td><td>राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना।</td></tr>
<tr><td>योजना की अवधि</td><td>दिनांक 01.04.2012 से प्रचलित यह योजना दिनांक 31.03.2017 तक प्रभावी रहेगी।</td></tr>
<tr><td>पात्रता</td><td>योजना अवधि में दस्तकार/उद्यमी को बैंक/वित्तीय संस्थान से चर्म उद्योग हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 30,000 रूपये के यंत्र संयंत्र/फर्मे/औजार क्रय करने हेतु ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। चर्म प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित प्राप्त दस्तकारों को वरीयता दी जायेगी।
<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>उपलब्ध कराये जाने वाले एवं आधुनिक परिष्कृत उपकरणों के नाम</th><th>आयु</th><th>पात्रता</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>शू लास्ट (फर्मे)</td><td>18 से 40 वर्ष</td><td>नोगरा जूती, मोजरी शूज, चप्पल,सैंडिल उत्पादन हेतु जिला उद्योग केन्द्रो में मेमोरेन्डम पार्ट–2 एवं कार्यरत दस्तकार/ उद्यमी (एक परिवार का एक ही सदस्य पात्र होगा)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2 चर्म सिलाई मशीन</td><td>18 से 40 वर्ष</td><td>लैदर गुड्स/लैदर गारमेंट्स उत्पादन हेतु जिला उद्योग केन्द्रों में मेमोरन्डम पार्ट–2 एवं कार्यरत दस्तकार/ उद्यमी (एक परिवार का एक ही सदस्य पात्र होगा।)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>नोडल एजेन्सी</td><td>योजना की क्रियान्विति हेतु संबंधित जिला उद्योग केन्द्र नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र नोडल अधिकारी के रूप में आयुक्त, उद्योग के निर्देशन/मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।</td></tr>
<tr><td>स्वीकृति प्रकिया</td><td>योजना के अन्तर्गत बैंक से ऋण वितरण के पश्चात् 6 माह की अवधि में ग्रान्ट स्वीकृति हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। महाप्रबन्घक द्वारा पात्रता की जांच कराने के पश्चात् कार्य स्थल पर यंत्र/संयंत्र(फर्मे) की स्थापना एवं इकाई के कार्यरत होने का निरीक्षण व सत्यापन करने के पश्चात् ग्रान्ट स्वीकृत की जावेगी।</td></tr>
<tr><td>ग्रान्ट की राशि भुगतान प्रकिया</td><td>महाप्रबन्धक द्वारा योजना के तहत क्रय किये गये आधुनिक औजार शू–लॉस्ट/चर्म सिलाई मशीने स्थापित करने एवं उनसे उत्पादन प्रारम्भ करने के सत्यापन के उपरान्त उक्त ग्रान्ट राशि दस्तकार के बैंक ऋण खाते में जमा करायी जावेगी।</td></tr>
</table>

योजना के तहत सहायता	चर्म दस्तकारों द्वारा बैंक ऋण से क्रय किये गये औजार शू–लॉस्ट एवं मशीनरी की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15,000/– रूपये की ग्रान्ट दी जा सकेगी।
समस्याओं का निराकरण	योजना की समस्याओं/विवादों के समाधान के संबंध में आयुक्त, उद्योग विभाग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
योजना में संशोधन करने का अधिकार	उद्योग विभाग/राज्य सरकार में निहित होगा ।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 131500156 दिनांक 06.05.2015 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

यह अधिसूचना इस विभाग की समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 07.06.2012 एवं दिनांक 09.07.2013 के अधिक्रमण मे जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(शुचि शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग
5. प्रमुख शासन सचिव, लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त (समस्त)
11. जिला कलेक्टर (समस्त)
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय को निर्देशित करावें।
13. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर
14. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (समस्त)
15. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

59

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 1(4)उद्योग / ग्रुप–2 / 2012 जयपुर, दिनांक 21 DEC 2016

–:अधिसूचना:–

राज्यपाल महोदय की ओर से राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012 की अवधि दिनांक 31.03.2019 तक प्रभावी रखे जाने की सहमति प्रदत्त की जाती है।

यह सहमति आयोजना विभाग की आई.डी. संख्या 205 / प्लान–4 / 2016 दिनांक 01.12.2016 एवं वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 101604659 दिनांक 13.12.2016 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(शुचि शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव (प्रथम / द्वितीय) माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव, एमएसएमई।
6. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त (समस्त)
11. जिला कलेक्टर (समस्त)
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को मय सॉफ्ट प्रति भेजकर अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय को निर्देशित करावें।
13. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर
14. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (समस्त)
15. रक्षित पत्रावली

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

(77)

क्रमांक : प. 1(4)उद्योग/ग्रुप–2/2012 जयपुर, दिनांक: 8 MAR 2019

–:अधिसूचना:–

राज्यपाल महोदय की ओर से राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012 की अवधि दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक प्रभावी रखे जाने की सहमति प्रदत्त की जाती है।

यह सहमति निम्न शर्तो के तहत जारी की जाती है :–

राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना में गत 5 वर्षो में लाभान्वितो की संख्या दहाई तक ही है। योजना का अधिक से अधिक आर्टीजनो को लाभ पहुचे, इसके लिए योजना का पुनरीक्षण एवं संशोधन कर, सक्षम प्रशासनिक स्तर से अनुमोदन कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह सहमति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 101900824 दिनांक 27.02.2019 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह०/–
(दुर्गा जोशी)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, एम.एस.एम.ई.।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त (समस्त)
9. जिला कलक्टर (समस्त)
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को मय सॉफ्ट प्रति भेजकर अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय को निर्देशित करावें।
11. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (समस्त)
13. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव